Dr. Gautam Kr
BA(H). Part-II
PAPER-III

नीति निदेशक तत्वों का अर्थ एवं स्वरूप
(Meaning & Forms of Directive Principles)

राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (Directive Principles of State policy) का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग-IV के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है जिसको वर्ष 1937 में निर्मित आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा (soul of constitution) कहा है। नीति-निदेशक तत्व शासन व्यवस्था का मूल आधार है तथा देश के प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता है। नीति-निदेशक तत्व के द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सकता है। नीति-निदेशक तत्वों में उन आदर्शों को निहित किया गया है जिसका प्रयोग प्रत्येक सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण और कानून बनाने में करेगी।

नीति-निदेशक तत्वों की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जी. एम. जोशी ने लिखा है कि, "इन निदेशक तत्वों का विधानमण्डल को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये उस नीति की ओर संकेत हैं, जिसका अनुकरण संघ और राज्यों को करना चाहिए।"

एम. जी. खेडेकर के अनुसार "नीति निदेशक सिद्धांत वे आदर्श हैं, जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है।"

Scanned with CamScanner

नीति निदेशक तत्वों का स्वरूप-

(i) नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात् इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।

(ii) नीति-निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं।

(iii) कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। केन्द्रीय सरकार, संसद, राज्यसरकार, विधानमण्डल, राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी इसके अधीन हैं। यहाँ राज्य का अभिप्राय- राजनीतिक सत्ता से संबंधित है।

मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अन्तर (Diff. Between Fundamental Rights & Directive Principles of Policy)

मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य भारत की प्रगति और भारतीय नागरिकों को विकास के अधिकतम अवसर प्रदान करना है, इस दृष्टि से मूल अधिकार यदि 'साध्य' हैं तो 'निदेशक तत्व साधन' हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं फिर भी दोनों में निम्नलिखित अन्तर हैं:-

(i) भारतीय संविधान के भाग-III में दिए गए मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं जबकि नीति-निदेशक तत्व सकारात्मक हैं। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करता है, जबकि नीति-निदेशक तत्व राज्य की शक्ति व कार्य में वृद्धि करते हैं।

Scanned with CamScanner

(iii) मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं, जबकि नीति-निदेशक तत्व राज्य के लिए हैं। नीति-निदेशक तत्व राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं।

(iii) मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है जबकि नीति-निदेशक तत्व आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है।

(iv) मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति-निदेशक तत्वों का क्षेत्र व्यापक है।

(v) मौलिक अधिकार न्याय-योग्य हैं लेकिन नीति-निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं हैं।

(vi) मौलिक अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है जबकि नीति-निदेशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। नीति निदेशक तत्व को जनमत का बल तथा नैतिक शक्ति ही प्राप्त है।

(vii) मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं जबकि नीति-निदेशक तत्व सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र (Socio-Economic Democracy) की स्थापना में सहायक हैं।

Scanned with CamScanner